

## 6 डजिटि अल्फान्यूमेरिक HUID

**भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards- BIS)** ने 31 मार्च, 2023 के बाद बना 6 अंकों के अल्फान्यूमेरिक **हॉलमार्क वशिष्ट पहचान संख्या (Hallmark Unique Identification Number- HUID)** के हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों या सोने की कलाकृतियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। हालाँकि पुरानी योजनाओं के अनुसार उपभोक्ताओं के पास हॉलमार्क वाले गहने मान्य रहेंगे।

- इससे पहले 4 अंकों वाले पुराने हॉलमार्क के आभूषणों की बिक्री की अनुमति थी और आभूषण विक्रेता 6 अंकों के HUID चहिन वाले गहनों के साथ इसे भी बेच सकते थे।

### हॉलमार्क:

#### ■ पहचान:

- कीमती धातु के सामानों में **कीमती धातु की अनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग को हॉलमार्कगि** के रूप में जाना जाता है।
- आभूषणों के संदर्भ में हॉलमार्कगि योजना BIS द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। भारत में वर्तमान में हॉलमार्कगि के दायरे में सोने और चाँदी जैसी दो कीमती धातुओं को शामिल किया गया है।
- हालाँकि **23 जून, 2021 से गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टफिक्ट्स ऑर्डर, 2022** के अनुसार देश के 288 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्कगि को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।
- वर्ष 2021 में 6-अंकीय HUID की शुरुआत के बाद हॉलमार्क में **3 प्रतीक अर्थात्, BIS लोगो, आभूषणों की शुद्धता और छह-अंकीय अल्फान्यूमेरिक HUID शामिल थे।** प्रत्येक हॉलमार्क किये गए आभूषण में अद्वितीय HUID संख्या होती है, जिससे आभूषणों का पता लगाया जा सकता है।



//

- व्यावहारिक क्रियावधि:

- एक उपभोक्ता **BIS CARE** एप में 'सत्यापित HUID' का उपयोग करके HUID संख्या के साथ हॉलमार्क किये गए सोने के आभूषणों की जाँच कर और उसे प्रमाणित कर सकता है।
- जसि आभूषण को हॉलमार्क किये जाता है, उसकी पंजीकरण संख्या, आभूषण की शुद्धता, आभूषण के प्रकार के साथ-साथ हॉलमार्क केंद्र का विवरण, जो आभूषणों का परीक्षण और हॉलमार्क प्रदान करता है, आदि के संदर्भ में आभूषण विक्रेता को जानकारी प्रदान करता है।
- इस जानकारी का उपयोग करते हुए एक सामान्य उपभोक्ता आभूषणों के प्रकार के साथ मलिन करके खरीदे जाने वाले आभूषणों को सत्यापित कर सकता है और साथ ही उनकी शुद्धता की भी जाँच करता है।

## हॉलमार्क का क्या महत्त्व है?

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) नियम, 2018 के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदता है और वे आभूषण उन पर अंकित गुणवत्ता की तुलना में कम शुद्धता वाले पाए जाते हैं, तो खरीदार/ग्राहक ऐसी वस्तु के वजन और परीक्षण शुद्धता की कमी के आधार पर गणना से ज्ञात अंतर के दो गुना के बराबर मुआवजे का हकदार होगा।
- यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिये एक ऐसा उपकरण है जो ट्रेसिबिलिटी की क्षमता और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों को खरीदने में ग्राहकों का विश्वास बढ़ाता है।

## स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/6-digit-alphanumeric-huid>

